न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः— श्री परशुराम धानका, आर.ए.एस.

अपील संख्याः— 66/2005 (225 आर.टी.एक्ट.) तारीख रज्जू 02.07.2005
आरसीएमएस संख्या :— 2005/00093

उनवान

मंदिर वाके रूंध रारह तहसील भरतपुर द्वारा वाद मित्र :—

1. तेजसिंह पुत्र उम्मेदसिंह
2. गंगाराम पुत्र रामजीलाल तहसील व
3. गोविन्दसिंह पुत्र रामसरन
4. रामवीर पुत्र मदन

} जाति जाट निवासी मोरोली कला जिला भरतपुर।

.....

अपीलांटस।

बनाम

1. वनवारीलाल पुत्र कुन्दन जाति नाई निवासी रारह तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।
2. राजस्थान सरकार द्वारा अध्यक्ष आंवटन सलाहकार समिति

.....रैस्पाडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट. विरूद्ध ओदश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर दिनांक 16.06.2005 प्रकरण संख्या 39/2005 उनवानी तेजसिंह बनाम वनवारीलाल।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

115

उपस्थित :–

3. अपीलांटस की ओर से वकील श्री महाराजसिंह डागुर
4. रेस्पोंडेंट नम्बर 1 की ओर से वकील श्री राजेश कुमार सोगरवाल

निर्णय

25.07.2023

यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के निर्णय दिनांक 16.06.2005 के विरूद्व पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने रैस्पोडेट के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय का प्रस्तुत किया था कि आराजी खसरा नम्बर 236/0.9 वाके ग्राम रूंध रारह तहसील भरतपुर मे सायल के कब्जे क़ाश्त एवं खातेदारी की आराजी है जिस पर संम्वत 1991 से संम्वत 2030 तक लगातार गैर मुमकिन मन्दिर के इन्द्राज चलते चले आ रहे है। उपखण्ड अधिकारी भरतपुर द्वारा विवादित रकवा को रैस्पोडेंट के पिता कुन्दन के हक मे नियमन किया गया जबकि आवन्टी का कोई कब्जा नही रहा है। ओर न ही नियम 20 आंवटन नियमो की परिभाषा में आता है । नियमन के आधार पर उत्तरवादी एक के नाम इन्द्राज गलत हो रहे है जो काविल निरस्तनीय है । रैस्पोटेंट संख्या 1 को पाबन्द किया जावे कि सायल के कब्जे में हस्तक्षेप नही करें व विवादित आराजी को अन्यंत्र हस्तान्तरण नही करे। उक्त प्रार्थना पत्र को अधिनस्थ न्यायलय ने अपने अधिनस्थ न्यायालय आदेश मे खारिज कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधितथ्य विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र खातेदारी शून्य एवं गलत इन्द्राज जो रैस्पोडेन्ट संख्या एक के हक में हो रहे है उन पर विश्वास कर अपीलांट के विरूद्ध आदेश पारित करने मे गभ्भीर त्रृटि की है। अधीनस्थ न्यायालय का यह कहना है कि विवादित आराजी का रस्पाडेंन्ट सख्या एक के पिता के. नाम गैर खातेदार नियमन दिनांक 20.10.72 अंकित है व वाद में गैर खातेदार और फिर खातेदार दर्ज हो गया है यह कतई गलत है। अपीलांट का हमेशा से ही विवादित आराजी पर कब्जा काश्त कर रहा है। इन्द्राज गैर मुमकिन मंदिर रहा है इस तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय ने गोर नही कर खण्डनाधीन आदेश देने मे गभ्भीर त्रुटि की है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 एवं 46 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि किन –किन भूमियो पर खातेदारी नही मिल सकती है। फिर भी ऐसी भूमियो पर किसी व्यक्ति के नाम खातेदारी गलत रूप से दर्ज कर दी गई है तो वह काविले गौर नही है और अधिनस्थ न्यायालय ने गैर मुमकिन मंदिर की आराजी पर रेस्पाडेंट संख्या एक के नाम गलत खातेदारी इन्द्राजो पर विश्वास कर गभ्भीर त्रुटि की है। अपीलांट गूँगी, वहरी, अवयस्क की परिभाषा

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

215

मे आती है।जिसके अधिकारो हितो की सुरक्षा का दायित्व न्यायालय पर है । अगर ऐसे गूंगे ,वहरे व अवयस्क व्यक्ति की जमीन पर यदि किसी व्यक्ति ने खातेदारी करा ली है तो काविले खारिज है। आवंटन/नियम के लिये राजस्थान एलोटमेन्ट ऑफ एग्रीकलचर लेण्ड रूल्स 1970 के साल 4 में गैर मुमकिन भूमियो का आंवटन/नियमन को प्रतिवधित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय किस्म गैर मुमकिन मंदिर को नही मानकर खण्डनाधीन आदेश देने मे भारी त्रुटि की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 16.06.2005 निरस्त किया जावे तथा रैस्पोटेंट संख्या एक को दावे के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा व्यादेश से पाबन्द किया जावे कि अपीलांट के कब्जे काश्त मे हस्तक्षेप न करे तथा विवादित आराजी का अन्यत्र हस्तानान्तरण न करे।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेस को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेंट नम्बर 1 की ओर से कैवियंट पूर्व में वकील श्री राजेन्द्र सिंह एवं श्री राजेश कुमार सोगरवाल ने पेश कर दी थी तथा रेस्पो० नं02 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपास्थित हुए।

3. हमने उभयपक्ष की अपील पर बहस सुनी । विद्वान अभिभाषक अपीलांटस ने दौराने बहस अपने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहरातें करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए दलील दी कि हाल आराजी खसरा नं0 236/0.9 वाके ग्राम रूंध रारह तहसील भरतपुर साबिक आराजी खसरा नं0 213 / 3-11 बीघा से कायम हुआ है। विवादित आराजी अपीलांट सायल की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है जिस पर संवत 1991 से संवत 2030 तक लगातार गैर मुमकीन मंदिर के इन्द्राज चलते आ रहे थे। एस.डी.ओ. भरतपुर द्वारा विवादित रकबा को रेस्पोडेट के पिता कुन्दन के हक में नियमन कर दिया जबकि आवंटी का इस भूमि पर कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है और ना ही नियम 20 आंवटन नियमों की परिभाषा मे आता है। मंदिरं शाश्वत नाबालिग है जिस पर विधिअनुसार खातेदारी नहीं दी जा सकती है और ऐसे प्रदत्त खातेदारी अधिक प्रारभतः शून्य है। अतः हमारी अपील

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

(3/5)

स्वीकार फरमायी जावे और रेस्पो० नं. 1 को दावे के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा ब्यादेश से पाबंद किया जावे कि वह अपीलाटस के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नहीं करे तथा कोई आराजी का हस्तांतरण न करें।,

5- विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 न0 1 ने दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपी0 के द्वारा दौराने बहस दिये गये तर्कों का पुरजोर खण्इन करते हुए दलील दी कि विवादित आराजी से अपीलांट का कोई संबंध नहीं है। दिनांक 25-10-1972 को विवादित आराजी पर हमारे पिता कुन्दन का कब्जा मानते हुए नियमन की गई थी और उसका दाखिल खारिज 172 भरा गया था। आज दिनांक हम रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। तहत न्यायालय का आदेश सही है। इस भूमि पर अपीलांट सायल का मामला प्रथमदृष्टया साबित नहीं है तथा न ही उनका कब्जाकाश्त है जिससे उनको अपूरणीय क्षति भी नही होती है तथा सुविधा का संतुलन भी हमारे पक्ष में है। अत: अपीलाटस की अपील निराधार व नियमों के खिलाफ होने से खारिज फरमायी जावे।

5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात/ साक्ष्य से स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा .न. 236 आदिनांक रेस्पो0- अप्रार्थी की खातेदारी में राजस्व रिकार्ड में दर्ज पायी जाती है। यह तथ्य भी स्वीकार्य है कि रेस्पो०- अप्रार्थी के पिता कुंदन को यह भूमि सक्षम अधिकारी एसडीओ द्वारा नियमित कर खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये थे। यहां यह भी स्पष्ट है कि यह अपील प्रा0 पत्र धारा 212 की गई है जिसमें अधिकारों का निर्णय इस स्तर पर नही होना है और फिर अभी दावा तहत न्यायालय में विचाराधीन है जिसमे विवाधक रचित किये जाकर उभयपक्ष की साक्ष्य ली जाकर गुणावगुण के आधार पर तय होना है। चूंकि वर्तमान राजस्व रिकार्ड के आधार पर अपी0 का मामला प्रथमदृष्टया

सहायक अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

बनना नही पाया जाता है और रेस्पों० न 1 के खातेदार होने से अपी0 को अपूरणीय क्षति भी दृष्टिगत नही है तथा सुविधा का संतुलन भी रेस्पों0 न0 1 के पक्ष में ही है । ऐसी स्थिति मे विद्वान अभिभाषक अपी0 के तर्को के निराधार होने से हम कतई भी सहमत नहीं है तथा विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा दिये गये तर्को से हम पूर्णतया सहमत हो। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के मध्येनजर अपी0 की अपील सारहीन एवं निराधार होने से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है ।

6. फलस्वरूप उक्त विवेचन के मध्येनजर अपीलांट्स की अपील खारिज की जाती है। अपील फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो ।

आज दिनांक 25-07-2023 को यह निर्णय मेरे द्वारा दिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

1.

(परशुराम धानका)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

515